5

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/34

1. मोहनलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी ग्राम लीलदा रोड, देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
2. बुद्धीप्रकाश आत्मज मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लीलदा रोड, देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
3. हेमराज आत्मज मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लीलदा रोड, देई तहसील नैनवां जिला बून्दी

——अपीलांटगण

बनाम

1. मोडूलाल आत्मज गोपाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
2. कमला बाई पत्नी स्व0 राजाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
3. रमेश आत्मज स्व0 राजाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
4. आशाराम आत्मज स्व0 राजाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
5. सुनीता पुत्री स्व0 राजाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. सम्पत बाई पुत्री स्व0 राजाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
7. भूमिधारी तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी
8. जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री सम्पूर्णानन्द राय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 29.09.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 182/प्रार्थना–पत्र/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम देई पटवार हल्का देई.भू.अ.नि.क्षेत्र देई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज. की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 1049 खाता संख्या पुराना 1008 के खसरा संख्या 623 रकबा 0.9061 हेक्टयर, खसरा संख्या 623/1 रकबा 0.0162 हेक्टयर, खसरा संख्या 624 रकबा 0.3560 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2783 हेक्टयर भूमि स्थित हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण बरसो से निर्बाध रूप से खेती काश्त करते चले आ रहे है, जिसमें प्रार्थीगण ने रहने के लिए दो कमरे व बरामदा बना हुआ है जिस पर टीन शेड लगे हुए है व शेष भूमि को खालियान में काम में लेते आ रहे है। खसरा संख्या 624 में प्रार्थीगण ने मकान बना रखा है तथा शेष भूमि पर खालियान करते है जो लीलदा रोड से सटा हुआ है जिस पर प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 जबरन पत्थर डालकर निर्माण कार्य करने पर आमदा है। दिनांक 22.06.2023 को प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि पर जेसीबी मशीन लेकर आये और जबरन नीवे खोदने लगे तो प्रार्थीगण ने कहा कि यह हमारी खातेदारी कृषि भूमि है इस पर आप जबरन नीवे क्यो खोद रहे है इतना कहते ही प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 आग बबुला हो गये और कहने लगे कि हम तो नीवे खुदवाकर निर्माण कार्य करेगें हमारे बीच में आये तो जान से खत्म कर देगे एवं धारा 3 के केस में फसवा देगें, प्रार्थीगण ने पुलिस थाने एवं नायब तहसीलदार महोदय देई को रिपोर्ट दी जिन्होने मोका देखकर प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 से कहा कि यह तो प्रार्थीगण की खातेदारी हक आधिपत्य की भूमि है लेकिन उसके उपरान्त भी प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर निर्माण कार्य करवाने पर आमदा है और खुले आम धमकिया दे रहे है कि इस भूमि पर तो जबरन ताकत के बल पर नीवे खुदवाकर निर्माण कार्य करवाकर कब्जा करके ही रहेगें। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्यार्थीगण को इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाये कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर नीवे खोदकर निर्माण कार्य कर ताकत के बल पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थीगण को बैदखल नही करे, प्रार्थीगण के खेती काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करवाये। प्रत्यार्थीगण को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगे जिससे प्रार्थीगण के परिवार सहित भूखे मरने की नोबत आ

जावेगी तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नही होगी। प्रार्थीगण गरीब व असहाय कमजोर व्यक्ति है तथा प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 लडाकू किस्म के व्यक्ति है जो ताकत के बल पर प्रार्थीगण को तंग व परेशान कर जबरन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर नीवे खुदवाकर निर्माण कार्य करवाकर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बैदखल करना चाहते है इस कारण प्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रत्यार्थीगण का मुकाबला नहीं कर सकता इस कारण भी न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण, प्रत्यार्थीगण को ताफैसला वाद इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाये कि वह प्रार्थना पत्र. की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर नीवे खोदकर निर्माण कार्य कर ताकत के बल पर जबरन कब्जा नहीं करे प्रार्थीगण को बैदखल नही करे, प्रार्थीगण के खेती काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2025 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के मोके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तथाकथित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। कानूनन रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूवल के अनुसार कोई भी निर्णय आदेशिका पर पारित नहीं कर पृथक से निर्णय लिखाये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका पर ही निर्णय जैर अपील पारित की है जबकि रेवेन्यू कोर्ट में मेन्यूवल के अनुसार कोई आदेशिका पर पारित निर्णय गैर कानूनी व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल के विपरीत आदेशिका पर ही निस्तारित करते हुये अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 623, 623/1, 624 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 है० भूमि वाके ग्राम देई तहसील नैनंवा जिला बून्दी के संबंध में ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने मे अप्रार्थीगण/अपीलांटगणको पाबन्द किये जाने एंव प्रार्थना पत्र में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खसरा नम्बर 594 व खसरा नम्बर 624 के बीच की मेड को तरमीम शुद्ध किये जाने प्रभावी नही होने का निर्णय जैरे अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को देखते हुये या तो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिये यथावत स्थिति का कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो के विपरीत अपील विषयक आराजी मे अप्रार्थीगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 594 वाके ग्राम देई तहसील नैनंवा जिला बून्दी के सम्बन्ध मे कोई भी प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत नही चाहने के बावजूद भी गैरकानूनी रूप से आराजी खसरा नम्बर 594 के संबध मे निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। कानून अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दुओ पर सकारण निष्कर्ष देते हुए ही पारित किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टस के अस्थायी निषेधाज्ञा पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णनीय क्षति जैसे तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई निष्कर्ष कारण व तर्क अभिलिखित किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है जो तर्कहीन एंव नॉन स्पीकिंग आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है एंव गरीब व्यक्ति है जो आराजी खसरा नम्बर 594 वाके ग्राम देई पर काबिज काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त आराजी सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलाण्ट नियमन व आवंटन की पात्रता रखता है। रेस्पो० कम 1 लगायत 6 उक्त सिवायचक भूमि पर कब्जा

करना चाहता है जिसका रेस्पो० कम 1 लगायत 6 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पो० कम 1 लगायत 6 एक ही परिवार के ताकतवर व्यक्ति है जो अवैध रूप से स्थगन की आड में अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 594 पर कब्जा करना चाहते है जबकि अपीलाण्ट का रेस्पो० कम 1 लगायत 6 की आराजी से कोई सरोकार नही है। इसके बावूजद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। आराजी खसरा नम्बर 623, 623/1, 624 वाके ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी के पास ही खसरा नम्बर 594, 770, 625 राजकीय सिवायचक कृषि भूमि स्थित है जिस पर अपीलाण्ट कई वर्षों से काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है और उक्त भूमि का समय समय पर लगान आदि भी जमा करवाते है। उक्त भूमि अपीलांट के हक व अधिपत्य में चली आ रही है जिस पर अपीलांट नियमन एंव अलोटमेंट की पात्रता रखते है। अपीलाण्टस गरीब एंव भूमि काश्तकार है। रेस्पो० कम 1 लगायत 6 उक्त अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एंव अधिपत्य की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसका रेस्पो० कम 1 लगायत 6 का कोई अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पो० कम 1 लगायत 6 ने इसी उद्देश्य की पूर्ति बाबत मिथ्या व झूठे तथ्य अंकित करते हुये वाद एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि रेस्पो० कम 1 लगायत 6 ने अपने खातेदारी की भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है इसी कब्जे को बचाने के लिये झूठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2025 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टगण का उनकी कब्जे काश्त की आराजी पर मकान बना हुआ है, टीनशेड डले हुए है तथा शेष भूमि खलियान के रूप में काम ली जाती है। खसरा संख्या 624 में रेस्पोडेन्टगण का मकान बना हुआ है तथा शेष भूमि पर मकान बना हुआ है जो लीलदा रोड से सटा हुआ है जिस पर अप्रार्थीगण अपीलांटगण जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से पत्थर डालकर निर्माण करने पर आमादा है जिसका अपीलांटगण को कोई अधिकार नहीं है। यदि अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अपीलांटगण जबरन ताकत के बल पर रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर निर्माण करके रेस्पोडेन्टगण को बेदखल कर देंगे तथा रेस्पोडेन्टगण का वाद प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण,

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में है अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.01.2025 में वादग्रस्त आराजी के मोके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देई तहसील नैनवां की खसरा सख्या 623, 623/1, 624 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2783 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण अपीलांटगण के विरूद्ध जबरन कब्जा नहीं करने, निमार्ण नहीं करने तथा प्रार्थीगण को बैदखल नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम देई तहसील नैनवां की प्रश्नगत खसरा संख्या 623, 623/1, 624 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2783 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि में अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। वादग्रस्त आराजी ना तो अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर स्वंय के कब्जे काश्त होने के समर्थन में अपीलांटगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। चूंकि रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी में पर रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त को लेकर कोई विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर अभिलिखित खातेदार रेस्पोडेन्टगण का ही कब्जा काश्त माना जावेगा। चूंकि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.01.2025 में अपीलांटगण अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के मोके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 182/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा